मृतक बन्दी न्यायिक जाँच संख्या–05/2023

न्यायिक जांच मृतकगण विचाराधीन बन्दी– (1) करिया पासी उर्फ विजय पासी पुत्र जगनारायण

(2) मनोज रैदास पुत्र रंगीलाल

प्रेषक,

सपना त्रिपाठी–II,
जाँच अधिकारी/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या–16, सुलतानपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।

विषयः–विचाराधीन बन्दी करिया पासी उर्फ विजय पासी पुत्र जगनरायण तथा मनोज रैदास पुत्र रंगीलाल निवासी लोरिकपुर, थाना जामों, जिला अमेठी मु0 अ0 सं0 138/2023, धारा 302, 201 भा0 द0 सं0, थाना जामों, जिला अमेठी के मामले में जिला कारागार सुलतानपुर में न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु होने की जांच आख्या के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में ससम्मान उल्लेखित करना है कि अधीक्षक जिला कारागार सुलतानपुर के द्वारा पत्रांक संख्या–195/बन्दी मृतक/2023 दिनांकित 23.06.2023 पर माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रकरण की न्यायिक जांच नियमानुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया गया।

प्रकरण में मृतक विचाराधीन बंदीगण की जिला कारागार सुलतानपुर में मृत्यु के कारणों की जांच हेतु E.P.W. 1 (Enquiry Principal Witness) कैलाश (विचाराधीन बंदी), E.P.W. 2 शानू (विचाराधीन बंदी), E.P.W. 3 मो0 आरिफ (विचाराधीन बंदी), E.P.W. 4 सत्यम सिंह (सिद्ध दोष बंदी), E.P.W. 5 साक्षी रिन्कु (विचाराधीन बंदी), E.P.W. 6 धीरज कुमार चौबे/ हेड जेल वार्डर, E.P.W. 7 चन्द्रशेखर हेड जेल वार्डर, E.P.W. 8 साक्षी नवीन पाल जेल वार्डर, E.P.W. 9 साक्षी आदर्श सिंह जेल वार्डर, E.P.W. 10 साक्षी रंगीलाल (मृतक मनोज रैदास का पिता), E.P.W. 11 साक्षी सीतारानी (मृतक मनोज रैदास की मां), E.P.W. 12 साक्षी अशोक कुमार (मृतक विजय उर्फ करिया पासी का भाई), E.P.W. 13 साक्षी रवीन्द्र विजय (करिया पासी का रिश्तेदार), E.P.W. 14 अवधेश कुमार (हेड जेल वार्डर), E.P.W. 15 श्रीमती रीता श्रीवास्तव (प्रभारी जेलर), श्रीमती कविता कुमारी (प्रभारी जेलर), E.P.W. 17 श्रीमती दरक्शा बानों (उप

जेलर), E.P.W. 18 डॉ0 सुनील (पोस्टमार्टम डॉ0), E.P.W. 19 डॉ राम धीरेन्द (पोस्टमार्टम डॉ0), E.P.W. 20 साक्षी उमेश सिंह जेल अधीक्षक, सुलतानपुर के कथन दर्ज किए गए तथा चिकित्सीय प्रपत्रों का समयक रूप से अवलोकन किया गया।

साक्षी E.P.W.1: कैलास पुत्र रामश्याम ने सशपथ बयान दिया है कि मुल्जिम करिया पासी उर्फ विजय तथा मज्जू उर्फ मनोज रैदास पुत्र रंगीलाल लगभग 15–20 दिन पहले जिला कारागार में आये थे। मेरी पहली मुलाकात उनरो बैरक नम्बर 19 में हुई थी। बैरक सुबह 5–6 बजे खुल जाती है। घटना वाले दिन मनोज व करिया बैरक में मौजूद थे व करिया को देखा था। नहाने के बाद यह लोग भगवान को जल छोड़ने गये थे। नाश्ते के समय भी दोनों बैरक के बाहर अहाते में मौजूद थे। उस दिन नाश्ते में पहले चाय मिली थी, फिर दलिया मिली थी। नाश्ते का समय सुबह लगभग 8:00 बजे का था। इसके बाद मैं अपने बैरक में चला गया। मैंने मनोज व विजय को बैरक में अंदर आते नही देखा था। बैरक के अंदर मनोज व विजय अपने कम्बल जो जेल में मिलते है। एक के ऊपर एक बिछा कर दोनों लोग एक साथ लेटते थे। उनके पास एक गुलाबी रंग की चादर भी थी, जो बिछाकर लेटते थे। शायद घर से मंगाए होगे। मुझे जानकारी नहीं है। मैंने दोनों को दिनांक 21.06.2023 को समय लगभग 7–8 बजे सुबह के बाद नही देखा है। मुझे यह जानकारी राईटर सत्यम सिंह ने लगभग सुबह 11 बजे सरकिल जहां मैं मुलाकात के लिए गया हुआ था दी गई कि बच्चा बैरक में कुछ लोग गिनती में कम हो रहे है। लगभग 3:00 बजे जब मैं बैरक गया तो पता चला कि मनोज व करिया ने फांसी लगा लिया है।

साक्षी E.P.W.2: शानू द्वारा सशपथ बयान दिया है कि मैं दो महीने से जेल में हूं। चोरी के मुकदमें में निरूद्ध हूं। मैं बैरक नम्बर 19 में हूं। मेरे आने के 20 दिन बाद मनोज व विजय बैरक नम्बर 19 में आये थे। मनोज व विजय से अक्सर बातचीत होती थी। मुझे यह बात मनोज ने बताई थी कि जेल में दाखिल होने के 2–3 दिन बाद मनोज के मम्मी–पापा मिलने आये थे। मनोज ने मुझे बताया था कि मम्मी–पापा कह रहे थे कि इस बार तुम्हे छुड़ाएगे नहीं, पिछली बार चोरी के मुकदमे में छुड़वाया था, इस बार जिसके कहने पर यह काम किए हो, वह भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। करिया किसी से बात नहीं करता था। करिया ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि उसके घर वालों ने क्या कहा। उनके घर से पेन्ट, लोवर, टी–शर्ट, खाने का सामान आया था। मनोज व करिया ने जो चादर मंगाई थी, उसे घर वापस भेज दिया था। दोनों चटाई पर सोते थे। चादर नहीं बिछाते थे। उनके पास कोई चादर नहीं थी। दिनांक 20.06.2023 को बैरक रात की बंद होते समय मनोज व करिया बैरक में मौजूद थे तथा दिनांक 21.06.2023 को सुबह 5–6 बजे के बीच बैरक खुला था, तब भी मनोज व करिया मोजूद थे, जब मैदान व मंजन करने गए तो नलके पर मैंने मनोज व करिया को देखा था। उसके बाद मनोज और करिया ने नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद नहाये और उसके बाद मंदिर में जल चढ़ाए। हम लोग नहाने के

बाद कपड़े धो लेते है पर मनोज व करिया ने कपड़े नल पर ही रख दिये थे। उस समय ड्यूटी पर कौन तैनात था, मैं नहीं जानता। मनोज व करिया कब बैरक से बाहर चले गए मैंने नही देखा। जल चढ़ाने के बाद मैं अपने बैरक में चला गया था। मनोज व करिया के आस-पास आरिफ व कैलाश रहते थे और मैं भी साथ में रहता था।

साक्षी E.P.W.3: मोहम्मद आरिफ द्वारा सशपथ साक्ष्य में यह कथन किया है कि मैं जेल में साढ़े आठ महीने से निरूद्ध हूं। अभी मेरी बेल नहीं हुई है। मैं बैरक नम्बर 19 में हूं। मृतक बंदी करिया उर्फ विजय व मनोज रैदास बैरक नम्बर 19 में मेरे साथ निरूद्ध थे। मैं व मृतक विजय, मनोज रैदास बैरक नम्बर 19 में मेरे साथ निरूद्ध थे। मैं व मृतक विजय, मनोज अगल-बगल बैरक में सोते थे। मेरी कभी कभी थोड़ी बहुत बातचीत मनोज से होती थी। विजय से मेरी कभी बात नहीं हुई थी। घटना के 8-10 दिन पहले मनोज व विजय के घर वालों में से कोई मुलाकात करने आया था, मैं नहीं बता सकता तब से मनोज परेशान था कहता था, मै छुटूंगा या नहीं, लगभग 6 माह पहले ही मनोज चोरी के मुकदमें में इसी जेल में आया था और मेरे साथ बैरक नम्बर 19 में रहा था। उस मुकदमे में वह 6 माह बाद छूट गया था। मनोज व विजय एक चटाई के ऊपर एक बेडशीट बिछाकर सोते थे। बैरक में मनोज व विजय की दाहिनी तरफ मैं सोता था व बाई तरफ रिंकू सोता था। मैंने मनोज व करिया की जिस दिन उनकी लाश मिली थी यानी 21.06.2023 से एक दिन पहले 20.06.2023 को सुबह 5-6 बजे के बीच गिनती के समय देखा था। उसके बाद मैं फ्रेश होने चला गया, मैंने ब्रश किया, अपना बैरक धोया, उसके बाद चाय व दलिया आयी थी। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी बैरक में चला गया, मैंने विजय और मनोज को 21.06.2023 को भी देखा था। नाश्ते के समय लगभग 08-09 बजे मैं अपने बैरक की तरफ जा रहा था तो मनोज व विजय बैरक नम्बर 19 के गेट पर दिखे थे। उस समय बैरक के गेट पर कोई लम्बरदार अथवा सिपाही नहीं था। लगभग 10:00 बजे सुबह जब अदालत का खाना बट रहा था, तब मनोज व विजय वहां नहीं थे। मेरी अदालत नहीं थी। मेरा खाना 11:00 बजे आया था और मैं खाना खाकर अन्दर चला गया । गिनती में जब मनोज व विजय नहीं मिले तब ऑफिस से नासिर नाम का व्यक्ति आया था। उसने पूछा कि मनोज व करिया को देखा है। मैंने इंकार किया और बैरक बंद हो गयी है। लगभग एक घंटा के बाद पता चला कि मनोज व करिया ने फांसी लगा ली है। जिस बाग में फांसी लगाना कहा गया है, वहां कभी भी बच्चा बैरक अर्थात बैरक नम्बर 19 से किसी बंदी की ड्यूटी नहीं लगती है। मैं कभी-कभार कैंटीन गया हूं, तो रास्ते में बाग दिखाई देता था। जब भी कैंटीन जाता था, कोई लम्बरदार मेरे साथ रहता था। बाग की तरफ सामन्यतः बच्चा बैरक वालों का आना-जाना नहीं रहता है, क्योंकि वह एकदम जेल के पीछे है तथा बच्चा बैरक वालों की ड्यूटी भी बाग में नहीं लगायी जाती है।

साक्षी E.P.W.4: सत्यम सिंह द्वारा अपने सशपथ साक्ष्य में यह कथन किया है कि मैं मार्च 26, 2022 से जेल मे बंद हूं। मेरे घर वालों ने अपील किया है। मैं मनोज को पहले से भी जानता था, 2022 मे वह चोरी के मुकदमे में आया था, उस दौरान वह 5–6 महीने जेल मे रहा था। मनोज व करिया रिश्तेदार थे या नही, मै नही जानता, परन्तु दोनों एक ही फाइल के मुल्जिम थे, इसलिए एक साथ रहते थे। मेरी मनोज व करिया से कभी–कभी बात होती थी, आखिरी बार मनोज व करिया से बात, शायद 19.06.2023 को हुई थी, ठीक से याद नही है। मैंने 20.06.2023 की रात को मनोज व करिया को बैरक बंद होते समय देखा था। लगभग 8–9 बजे सुबह का समय था। मै बच्चा बैरक मे राइटर का काम करता हूं। मेरा काम बच्चों की समस्या सुनना व अधिकारियों को समस्या से अवगत कराने का था। सबसे पहले मै समस्या चीफ साहब जिनकी बैरक में ड्यूटी होती उन्हे बताता था। 20.06.2023 व 21.06.2023 को चन्द्रशेखर व धीरज चौबे की ड्यूटी थी। उस दिन यानी 21.06.2023 को अवधेश कुमार चौकी हेड गिनती करने आये थे, तब मनोज, करिया बैरक में मौजूद थे। मनोज व करिया का बच्चा बैरक का कार्ड बनने से पहले बैरक नम्बर 12 में रहते थे। यह बात मुझे स्वयं मनोज व करिया ने बताई थी कि हम 12 नम्बर बैरक में रहते थे और हमारी ड्यूटी कैन्टीन में लग गयी थी। मुलाकात के समय लगभग 11–12 बजे के बीच मुझे जानकारी हुई कि जब इन्चार्ज गिनती करने आये तो मनोज व करिया बैरक में मौजूद नहीं थे, इंचार्ज कौन थे मैं नहीं जानता। मनोज व करिया जमीन पर कम्बल व बेड शीट बिछाकर सोते थे। बेड शीट किस रंग की थी मुझे याद नहीं है।

साक्षी E.P.W.5: रिन्कू ने अपने सशपथ साक्ष्य में यह कथन किया है कि मैं 31.05.2023 से जिला कारागार में निरूद्ध हूं। मैं 376 के मुकदमें में बन्द हूं। मैं मनोज तथा करिया एक ही बैरक में रहते थे। मेरी मुलाकात मनोज व करिया से बैरक में ही हुई थी। मेरा बिस्तर मनोज व करिया के बगल में ही था। मनोज व करिया पानी मांगते थे तो मैं ही दे देता था। मनोज व करिया आपस में ही बात करते थे। मुझसे बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। मनोज व करिया जब भी बात करते यही कहते है कि हम कब छूटेंगे, छूटेंगें या नहीं। हम लोग समझाते थे कि छूट जाओगे। मनोज व करिया चटाई व कम्बल के ऊपर सोते थे, उनके पास चादर नहीं थी। सामान्यतः मनोज व करिया खाना–पीना खाते थे तथा हंसते बोलते भी थे, कभी–कभी टेंशन में रहते थे। मनोज यह भी बताता था कि जिसके कहने पर काम किया है, वह भी साथ नहीं दे रहा है। मैंने आखिरी बार दिनांक 21.06.2023 को सुबह 8 से 9 बजे के बीच मनोज व करिया को जल चढ़ाते देखा था और चाय, नाश्ता भी करते देखा था, उसके बाद मैं अपने कपड़े धोने लगा और नहाने चला गया और जल चढ़ा कर आया तो खाने का वितरण शुरू हो गया था। उसके बाद समस्त कैदियों को बैरक में ले जाते समय सत्यम राईटर और सिपाही द्वारा गिनती की गई तो गिनती में मनोज व करिया नहीं पाये गये, परन्तु इस पर कोई कार्यवाही नही की गई शायद यह सोचा होगा कि बाल कटाने गये होंगे। लगभग 11 बजे के आस–पास गिनती हुई थी। मै

कभी भी बाग की तरफ नही गया और न ही देखा कि बाग में क्या–क्या है। लगभग 12 बजे दरोगा, सिपाही व कारागार में कार्यरत डिप्टी जैम व अधीक्षक महोदय के आने पर यह जानकारी हुई कि मनोज व करिया ने फांसी लगा लिया है। मैंने मनोज व करिया को घटना के दिन 10 बजे देखा था।

साक्षी P.W.6: धीरज कुमार चौबे का सशपथ कथन है कि मैं जिला कारागार सुलतानपुर में लगभग 5 वर्ष से नियुक्त हूँ। मेरी नियुक्ति जेल वार्डर के रूप में हुई थी। बाद में हेड जेल वार्डर के पद पर नियुक्ति हुई, किन्तु जेल वार्डर की नियुक्ति किस बैरक में होगी, यह माह में एक बार जेल अधीक्षक द्वारा आदेश होता है, मैं दिनांक 01.06.2023 से 20.06.2023 तक बैरक संख्या 6, 7, 8, 15, 16 एवं 17 पर सायं 16 से 20 बजे तक मेरी ड्यूटी थी। दिनांक 20.06.2023 को शाम को मुख्य चीफ ने मेरी ड्यूटी बैरक नम्बर 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में ब्रजमोहन सिंह के स्थान पर लगायी थी। इसकी सूचना मुझे सुबह ड्यूटी पर जाते समय 4 बजे प्राप्त हुई। हमारी ड्यूटी निर्धारित बैरकों पर सुबह 4 से 8 बजे तक रहती है और शाम को 4 से 8 बजे तक रहती है। यह ड्यूटी 10 दिन के बाद बदलती है। तब तक ड्यूटी का समय 4 से 8 बजे तक की जगह 4 से 12 बजे तक का हो गया। दिनांक 21.06.2023 को सुबह 4 बजे मैंने ड्यूटी के अंतर्गत सभी बैरकों का भ्रमण किया। सभी बैरक बन्द थे। गेट पर आकर चार्ज लिया। उसके बाद मैंने सभी बैरकों का भ्रमण किया, बैरक 5 बजकर 45 मिनट पर खुलता है। दिनांक 21.06.2023 को बैरक नम्बर 19 को मैंने नहीं खुलवाया संभवतः हेड चीफ वार्डर अवधेश कुमार द्वारा खुलवाई गयी होगी, उन्हीं के द्वारा उसी समय बन्दियों की गिनती की जाती है। सामान्यतः जो भी वार्डर उस तिथि को जेल वार्डर नियुक्त होता है, सभी बैरकों में बन्दियों की गिनती उसी के द्वारा करायी जाती है। लगभग 6 बजे के आस–पास मैं बैरक नम्बर 19 पर पहुंचा और मेरे द्वारा बन्दियों की गणना की गई। सब कुछ ठीक पाया गया। गिनती के समय लाइन में मनोज व करिया मौजूद थे या नहीं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी ड्यूटी उसी दिन उस बैरक में लगी थी। मैं मनोज व करिया को पहले से नहीं जानता था। बैरक नम्बर 19 में उस समय सभी बंदियों का नाश्ता हो चुका था और बैरक 12 बजे बंद होती है। इस बीच बंदी बैरक के हाते में ही रहते है। लगभग 12 बजे पुनः चन्द्रशेखर हेड जेल वार्डर की उपस्थिति में सभी बंदियों की गिनती हुई। सभी बंदी मौजूद थे। मेरे द्वारा बैरक बंद करके चार्ज चन्द्रशेखर को देकर चला गया। मेरे द्वारा गिनती के समय कोई बन्दी कम नहीं था। फिर कहा राईटर ने मुझे बताया था कि दो बंदी कैन्टीन में गये हुए है। मैंने जो ऊपर बताया है कि गणना के समय सभी बंदी मौजूद थे, वह गलत है। मैंने चन्द्रशेखर को यह बात बता कर कि बंदी कैन्टीन गये है। बैरक बंद कर चार्ज दे दिया। दिनांक 21.06.2023 को कैंटीन में किसी की ड्यूटी नहीं थी। मैंने ड्यूटी अथवा कार्यभार देते समय यह जानने का प्रयास नहीं किया। वास्तव में बंदी कैन्टीन

में है अथवा नही। बंदी को बिछाने के लिए कम्बल दिया जाता है। चादर बिछाने के लिए अपने घर से लाते थे।

साक्षी E.P.W.7: चन्दशेखर ने अपने सशपथ कथन है कि मेरी ड्यूटी दिनांक 20.06.2023 को बैरक नम्बर 2,4,5,17,18,19,21 एवं 22 में अस्पताल व बेकरी में थी। मेरी ड्यूटी सुबह 8 से 12 बजे थी। फिर रात 8 से 12 बजे तक थी, यदि बैरक या अस्पताल से कोई आता जाता है तो थर्ड गेट पर लगे वार्डर की निगरानी में आते जाते है। उस दिन दिनांक 21.06.2023 को थर्ड गेट पर नवीन पाल वार्डर व दूसरा आदर्श सिंह की ड्यूटी लगी थी, जब मैं बैरक नम्बर 19 से अन्य बैरक में गणना करने गया था, तब मेने देखा था उक्त दोनों सिपाही ड्यूटी पर है। उस दिन 21.06.2023 को योगा दिवस पर बैरक 2,3,4,5,17,15,16 के बंदी योगा के लिए मुलाकात स्थल पर इकट्ठा हुए थे। हर बैरक में से 4–5 लोगों को ले जाया गया था। बैरक नम्बर 19 से योगा हेतु किसी को भी नहीं ले जाया गया था, क्यों नहीं ले जाया गया इसका कोई कारण मुझे नहीं मालूम। बैरक नम्बर 2,3,4,5,15,16 में से योगा हेतु बंदियों को निकालने हेतु मुख्य चीफ के आदेश पर निकाला था। चूंकि मुझे बैरक नम्बर 19 में बंदियों को निकालने हेतु नहीं कहा गया था, इसलिए मैंने नहीं निकाला था। बैरक नम्बर 19 में कोई बंदी कॉल करके व फोन करके मुख्य चीफ व थर्ड गेट में ड्यूटी पर नियुक्त वार्डर को सूचित कर के आते–जाते थे। उनके साथ कोई भी बंदी रक्षक नहीं रहता था। मैं दिनांक 21.06.2023 को सुबह 8:00 बजे तक ड्यूटी पर था। जाते समय बंदियों का प्रभार श्री चन्दशेखर को देकर अवकाश पर चले गए। दिनांक 21.06.2023 को पुनः 10 बजे मैंने चन्दशेखर से बंदियों का चार्ज गणना करके लिया। उस समय सभी बंदी मौजूद थे। 4 बजे से 8 बजे तक धीरज हेड जेल वार्डर ड्यूटी पर थे। बैरक उन्होंने ही बंद कराया था। जब मैंने 20.06.2023 को राउण्ड लिया। उस समय मुझे ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हुआ कि किसी बैरक में कोई गतिविधि हो रही है। मैं रात को 12 बजे अपने आवास पर चला गया, फिर दिनांक 21.06.2023 को मैं दोपहर 12 बजकर 01 मिनट पर जेल के अंदर आया। 21.06.2023 को सुबह 8:00 बजे ड्यूटी पर आकर धीरज चौबे को बदल दिया अर्थात चार्ज ले लिया। मैने राईटर से चार्ज बुक लिया फिर मैं दूसरे हाते पर चला गया। इस तरह मैंने सभी बैरकों का चार्ज लिया। मैंने बैरक नम्बर 19 का भी चार्ज लिया। मैंने बैरक में जाकर बंदियों की गिनती नहीं की। 10 बजे मेरी ड्यूटी बदल गई। मेरे बाद धीरज चौबे आए पुनः 21.06.2023 को 12 बजकर 1 मिनट पर अन्दर गया और बैरक में जाकर धीरज चौबे से मिला। उसके बाद बैरक नम्बर 2, 4, 5, 17 में मुलाकात चल रही थी। बंदी खुले थे, जिसके कारण गणना करना संभव नहीं था। फिर मैं बैरक नम्बर 19 में लगभग 12 बजकर 20 मिनट पर पहुंचा। फिर मैने बैरक में जाकर गिनती किया, जब मैं पहुंचा बैरक बंद हो गई थी। मैंने राइटर से चाभी लेकर बैरक खुलवाया और फिर गिनती की। धीरज चौबे ने मुझे एक पर्ची गिनती की दी थी। उस पर्ची में कोई भी बन्दी गिनती से कम नहीं था और न ही धीरज चौबे ने मुझे बताया

कि कोई बंदी कम है। धीरज चौबे ने अपने बयान में यह कहा है कि चन्द्रशेखर को चार्ज देते समय कहा था कि बैरक नम्बर 19 में दो बंदी कम है। अन्य बंदीगण के अनुसार वे बाल कटाने गये थे तो यह कथन गलत है क्योंकि मेरी और उनकी कोई बात नहीं हुई। जब मैंने बैरक खुलवाकर बंदियों की गणना की तो दो बंदी कम पाया। जेल अधीक्षक द्वारा अपनी जांच में जो मेरा बयान लिया जाना कहा गया है, ऐसा कोई बयान मैंने नहीं दिया है। फिर कहा मेरा बयान बड़े बाबू ने दिनांक 21.06.2023 को अंकित किया। इस बयान में यह बात नहीं लिखी है 12 बजकर 10 मिनट पर जब बैरक 19 में गणना करने पर 2 बंदी कम पाए थे। यह बात जानबूझकर मेरे बयान में नहीं लिखी है। मैंने सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर धीरज चौबे से चार्ज लेते समय बैरक नम्बर 19 में गया, मैंने बंदी की गणना नहीं की जो मुझे करना चाहिए था, इसलिए में सही बात नहीं बता सकता कि सुबह 8:30 बजे गिनती के समय दो बंदी कम थे अथवा नहीं। सच बात तो यह है कि मैंने धीरज चौबे से चार्ज लेते समय कोई गणना नहीं कि मात्र उनके कथनानुसार मैंने चार्ज लिया दुबारा चार्ज लेते समय करीब 12:30 बजे कंट्रोल रूम पहुंचा तो यह सूचना आई कि बैरक बंद करा दीजिए, अधीक्षक साहब ने कहा है। धीरज चौबे ने अपने बयान में जो बात बताई है कि उनके द्वारा बैरक बंद करके चार्ज दिया है। वह गलत है। बैरक मेरे द्वारा कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त होने पर 12:35 बजे के आस–पास कराया गया। बाग जहां घटना हुई तथा कैन्टीन के बीच लगभग 100–150 मीटर की दूरी होगी। अधीक्षक महोदय द्वारा बैरक नम्बर 12 में बंदी मौर्या पूरा नाम नहीं जानता उसकी ड्यूटी कैंटीन चलाने हेतु लगाई गई है। मै मौर्या को 1 वर्ष से वहीं काम करते हुए देख रहा हूं, मौर्या के अतिरिक्त 10–12 बंदी कैंटीन में काम कर रहे है। कैंटीन में सिपाही की तैनाती सुरक्षा हेतु नहीं लगाई थी, इसलिए कोई व्यकित कैंटीन, बाग कहीं भी आ जा सकता है। थर्ड गेट में जिन सिपाही की ड्यूटी लगी है कि कोई बंदी इधर–उधर न जाय। उनमें नवीन पाल, आदर्श सिंह, दिनेश कुमार, मुख्य चीफ अवधेश कुमार ड्यूटी पर तैनात थे, परन्तु उन्होंने यह नहीं देखा कि कौन बंदी कब और कहां गया।

साक्षी E.P.W.8: नवीन पाल द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि मेरी नियुक्ति दिनांक 13.09.022 जिला कारागार में है, मैं वहां जेल वार्डर के पद कार्यरत हूं। दिनांक 20.06.2023 को मेरी ड्यूटी थर्ड गेट पर आदर्श व शैलेन्द्र यादव के साथ सुबह से शाम तक जेल खुलने से जेल बंद होने तक थी। मेरी ड्यूटी के अंतर्गत अस्पताल के आने–जाने वाले बंदियों की देखरेख तथा आने जाने वालों बंदियों का रिकॉर्ड दर्ज करना था। अस्पाताल के अंतर्गत बच्चा बैरक भी आते है। उक्त बैरक से कोई बाल कटवाने या फोन करने जाता है तो उसकी तालाशी लेते है। इनका कोई रिकोर्ड नहीं रहता है। जेल में चूंकि मेरे द्वारा थर्ड गेट से आते–जाते किसी कैदी का रिकोर्ड नहीं रखा जाता। इसलिए शाम को बैरक बंद होते समय समस्त कैदी वापस बैरक चले गये है अथवा नहीं इसकी कोई जानकारी मेरी पास नहीं रहती है। दिनांक 21.06.2023 को थर्ड गेट पर ड्यूटी पर लगभग 11 बजकर 5 मिनट पर पहुंचा था।

मेरे सामने मनोज व करिया थर्ड गेट से निकलकर बाग की तरफ नहीं गये। मुझसे पहले आदर्श सिंह ड्यूटी पर थे। लगभग 12 बजे के आसपास हमने देखा कि चीफ साहब आदर्श, अवधेश कुमार सहित उसी तरफ आए थे। बाग सर्किल के आगे पड़ता है। चीफ साहब वहां से आने के बाद अधीक्षक साहब के पास गये फिर चीफ साहब, अधीक्षक साहब व लम्बरदार बाग की तरफ अन्य सिपाहियों के साथ चले गये। सबको यह सूचना दी गई कि हाते बंद कर दिए जाये। उसके बाद मैं भी अधीक्षक महोदय के साथ घटना स्थल पर गया, वहां मैंने देखा कि दो शव पेड़ पर लटके हुए थे।

साक्षी E.P.W.9: आदर्श सिंह द्वारा सशपथ बयान दिया गया कि मैं जेल वार्डर के पद पर दिनांक 15.09.2021 से तैनात हूं। 20.06.2023 को मेरी ड्यूटी थर्ड गेट पर लगी थी। मेरी ड्यूटी जेल खुलने से जेल बंद होने तक थी। मैने दिनांक 20.06.2023 को बच्चा बैरक के किसी बंदी को आते–जाते नहीं देखा। बच्चा बैरक में सर्किल की ओर जाने के लिए थर्ड गेट पार करना होता है। जहां मेरी ड्यूटी है, आम तौर पर बच्चा बैरक के बंदी फोन करने हेतु अथवा बाल इत्यादि कटाने के लिए आते–जाते है, परन्तु उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। हम बंदी का नाम भी नहीं पूछते है, केवल कारण पूछकर जाने देते है। मैं दिनांक 21.06.2023 को सुबह 5 बजे आया। मैं थर्ड गेट पर 1 घंटा 20 मिनट तक तैनात रहा, उस दौरान बैरक से कोई बंदी थर्ड गेट से नहीं गया। फिर मैं नहाने चला गया, 45 मिनट बाद मैं लोट आया। मेरे स्थान पर मुख्य चीफ अवधेश कुमार को मैंने सूचित किया था। उनके बाद 45 मिनट बाद मैं फिर थर्ड गेट पर ड्यूटी करने लगा। इस दौरान लगभग 2 बजे तक बंदियों का आवागमन लगा रहता है, परन्तु हम लोग के द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जाता कि कौन सा बंदी किस प्रयोजन के लिए कहां जा रहा है। मुलाकात करने वाले अपने साथ चादर व चटाई ले जाते है। 11:20 तक मेरी ड्यूटी के समय मनोज व करिया थर्ड गेट से निकले या नहीं। मैं नहीं बता सकता।

साक्षी E.P.W.10: रंगीलाल द्वारा अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि मै मनोज कुमार मृतक का पिता हूं। मैं मनोज से मिलने दो बार जेल में गया था। पहले अपनी पत्नी सीतारानी के साथ गया था। बाद में अपने रिश्तेदार रामधनी, राममवन तथा राजू जिनके यहां मैं काम करता हूं, मनोज से मिलने गये थे। मैं मनोज के लिए 1/2 किलो लाई और 5000 रूपये बैरक कटाई के लिए मनोज को दिया था। जेल वालों ने बताया था कि बैरक बदली के लिए पैसा देना पड़ता है, जिससे ऐसी बैरक मिल जाती है, जहां कम काम करना पड़े। जब मैं सबसे पहले अपने पत्नी के साथ गया था। तो शर्ट, पैंट ले गया था। साथ में बिछाने की चादर ले गया था। चादर किस रंग की थी। मुझे याद नहीं था। मैं जब अपने बेटे से मिलने गया था। तब मैंने कहा था कि पैसे का इंतजाम करके छुडवाउगा। जब मैं मनोज से कारागार में मिला था तब मनोज ने बताया था कि एक रोज पहले गौशाला में किसी पुलिसवाले ने उसे मारा था। मेरे बेटे ने आत्म–हत्या नहीं की है। मैंने उससे कहा कि मैं तुमको छुड़ा लुगा। मेरे बेटे के शरीर पर चोट थी, जब उसकी मृत्यु की सूचना पर हम लोग जेल

गए थे, तो मुझे नहीं मिलने दिया गया और न ही उसकी लाश को देखने दिया। पंचनामा के समय विजय पासी उर्फ करिया की लाश से गंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह एक दो रोज पहले मर चुका है। मेरे बेटे के शव से बदबू नहीं आ रही थी। उसको जल्दी ही मारा गया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे बेटे की जिला कारागार में हत्या की गई है, उसने आत्महत्या नहीं की है।

साक्षी E.P.W.11: सीतारानी पत्नी रंगीलाल द्वारा अपने सशपथ साक्ष्य में कथन किया है कि मेरे लड़के का नाम मनोज है। मैं उसे उसके मरने के आठ दिन पहले जेल में मिलने गयी थी। मैंने हाल-चाल पूंछा था। उसने कहा था कि मम्मी फिर आना। मैंने अपने बेटे से कहा था, मुकदमा ऐसा है, जल्दी छुड़ा नहीं पाएगें पर जल्दी छुड़ाने का प्रयास करेगें। दूसरा लड़का विजय पासी हमारे गांव का ही है। मेरे लड़के के साथ उठता-बैठता था। मै उसके लिए आम, लाई, खीरा ले गई थी। एक लोवर, टी-शर्ट ले गयी थी। मेरा लड़का पहले भी जेल में बंद हुआ था। तब मैं बिछाने की चादर ले गयी थी। इस बार चादर नहीं ले गई थी। मेरे पति पिछली बार जो चादर ले गए थे। उसके बारे में बताया होगा, जब मैं बेटे के मरने की सूचना पर जेल गई तब मुझे मेरे बेटे की लाश को देखने नहीं दिया और धमका कर पंचनामे में अंगूठा निशान लगवा लिया। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे लड़का आत्महत्या नहीं कर सकता, उसे मारा गया है। विजय पासी की लाश जब पोस्टमार्टम के बाद मिली तो उसमें बदबू आ रही थी। मेरे बेटे की लाश से बदबू नहीं आ रही थी। ऐसा लगता है कि विजय पासी उर्फ करिया पहले ही मर चुका था।

साक्षी E.P.W.12: अशोक कुमार उम्र लगभग 25 वर्ष द्वारा सशपथ साक्ष्य दिया है कि करिया पासी उर्फ विजय पासी मेरा सगा छोटा भाई है। मैं दिनांक 02.06.2023 को जिला कारागार सुलतानपुर अपने भाई करिया पासी से मिलने गया था। मेरे साथ मेरे चाचा का लड़का रविन्द्र कुमार भी गया था। मैं अपने साथ देने के लिए 1 दर्जन केला, गुड़ मुना चना, ब्रश, मंजन, चटाई ले गया था। मैं अपने साथ कोई चादर नहीं ले गया था। मैं जब विजय से मिलने गया था तो वह रो रहा था। मेरे देर से पहुंचने के कारण 10 मिनट ही मुलाकात हुई। मेरे भाई ने मुझको बताया कि मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे जबरदस्ती फंसाया गया था। मेरे भाई को जेल गए हुए 20 दिन हुआ था। मेरे द्वारा उसे छुड़ाने हेतु जमानत की कार्यवाही पर सोच-विचार हो रहा था। मैंने अपने भाई से ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मैं तुम्हे छुड़ा नहीं पाऊगा। मेरे भाई कमाई के सिलसिले में अहमदाबाद में रहता था, दो महीने पहले, ही लौटा था। वह जूस निकालने वाली मशीन चलाता था। उसका जीवन संघर्ष भरा रहा है। वह आत्म-हत्या करने की नहीं सोच सकता था। छोटी-मोटी चीजें सह लेता था। पंचनामें के दिन मैं जिला कारागार गया था। अपने पिता जी के साथ गया था। हमे अपने भाई की लाश नहीं दिखाई गई थी। पंचनामें में अंगूठा मेरे पापा द्वारा लगाया गया था।

साक्षी E.P.W.13 रवीन्द द्वारा सशपथ साक्ष्य दिया गया है कि मैं विजय पासी का पड़ोसी हूं। मै विजय उर्फ करिया पासी से मिलने जिला कारागार गया था। मेरे साथ अशोक, विजय का भाई गया था। मै अपने साथ लोवर, टी-शर्ट, अंडर वियर, तेल, साबुन और फल, चना बश ले गया था। बिछाने के लिए प्लास्टिक की चटाई ले गया था। मैने विजय को 4000/-रूपये दिए थे। हमने सोचा था कि उसकी बैरक कटा दे तो दूसरी बैरक मिल जाएगी। जिससे काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने आसपास के लोगों से सुना था कि बैरक कटाने के पैसे लगते है, जब मै मिलने गया तो उसे जेल में गए 2-3 दिन हुए थे। शुरू में थोड़ा दुःखी हुआ, फिर हंस कर बात करने लगा था। मुझे विजय उर्फ करिया परेशान नहीं लग रहा था। हमने सोचा था कि दोबारा पैसा कमा लेंगे तो मिलने जाएंगे। उसको जेल में गए मात्र 20 दिन हुए थे। आगे जमानत का प्रयास किया जाता। पंचनामें के समय मैं मौजूद था, विजय की लाश नहीं दिखाई गयी। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद लाश लगभग 03:30 से 4 बजे दे दी गई थी। विजय की लाश सड़ चुकी थी। उसमें से बहुत गंध आ रही थी। कोई उसके पास खड़ा नहीं हो पा रहा था। मनोज की लाश से गंध नहीं आ रही थी। मेरे अनुसार विजय उर्फ करिया ने आत्म-हत्या नहीं की है।

साक्षी E.P.W.14: अवधेश कुमार हेड जेल वार्डर जिला कारागार सुलतानपुर द्वारा सशपथ साक्ष्य दिया है कि मै दिनांक 18.11.2018 से हेड जेल वार्डर के पद पर कार्यरत हूं। दिनांक 20.06.2023 को मेरे साथ दिनेश कुमार जेल वार्डर ड्यूटी पर तैनात थे। दिनांक 20.06.2023 को मेरी ड्यूटी का समय सुबह 5 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक का था। दिनांक 20.06.2023 को मैंने जेल खुलवाने के बाद बंदियों की गणना की गई थी। मैंने बच्चा बैरक की गणना की थी। गणना के समय कुल 50 नफत बंदी थे। मेरा कार्य बैरक खोलते वक्त गणना व ड्यूटी की व्यवस्था करने का था। मैंने मुख्यतः बैरक संख्या 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21 व 22 की गणना की थी। दिनांक 21.06.2023 को मेरी ड्यूटी नियंत्रण कक्ष पर मुख्य जेल वार्डर के साथ में थी। मैंने दिनांक 21.06.2023 को सुबह 05:15 बजे बच्चा बैरक खोलकर गणना किया था। सभी 50 बंदी मौजूद मिले थे। मैंने बंदियों का नाम लेकर गणना नहीं किया था। मैंने जेल इंक्वाईरी के समय यह बयान नहीं दिया था कि दिनांक 21.06.2023 को सुबह लगभग 5:15 बजे पर मैंने बंदियों की गणना की थी, क्योंकि मुझसे नहीं पूछा गया था। मैंने अपने पूर्व बयान में यह बताया है कि दिनांक 21.06.2023 को समय 11 बजे मैं अंदर आया और प्रथम पाली की मुलाकात कराने लगा। आदर्श सिंह के जाने के बाद मैं थर्ड गेट पर मौजूद था। उस समय बच्चा बैरक में न तो मुल्जिम अंदर आया और न ही बाहर गया। सुबह 10 बजे तक मेरे सामने कोई बंदी नहीं आया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिनांक 21.06.2023 को सुबह 10 बजे तक बच्चा बैरक में कोई बंदी न तो गया और न ही आया। इसका यही मतलब है कि सुबह 10 बजे तक मनोज व करिया बच्चा बैरक में ही थे। मैं मुलाकात करने के बाद गणना करने गया तो मुझे जानकारी हुई कि दो बंदियों ने अपने को फांसी लगा ली है। 10

बजे तक मेरी ड्यूटी के दौरान दोनों बंदी बैरक में ही थे तथा 10 बजे के बाद ही वह बंदी बैरक से निकलकर काम की तरफ गये होगे तथा घटना कारित की गई होगी। थर्ड गेट से निकलने वाले बंदियों का लिखा-पढी में मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। मेरे व मेरे सहायक द्वारा हर 2-2:30 घंटे में जेल का राउण्ड लिया जाता है। दिनांक 21.06.2023 को मुलाकात में व्यस्त हो जाने के कारण राउण्ड पर नही जा सका। मेरे व मेरे सहायक दिनेश के अलावा जेल के राउण्ड की ड्यूटी किसी की नहीं थी। मेरे अनुसार यह संभव नहीं है कि इतने कम समय के अन्तराल पर कोई बंदी स्वयं जाकर फांसी लगा ले।

साक्षी E.P.W.15: श्रीमती रीता श्रीवास्तव द्वारा अपने साक्ष्य में कथन किया गया है कि मेरे पास हवालात में रिहाई और गल्ला गोदाम का चार्ज पहले था। वर्तमान में सर्किल का चार्ज है। सर्किल के चार्ज के अंतर्गत मेरे द्वारा मुलाकातियों के समय सुरक्षा व्यवस्था देखना है तथा जिला कारागार सुलतानपुर में चूंकि जेलर की नियुक्ति नहीं है, तो जेल अधीक्षक द्वारा समय समय पर जेलर का चार्ज दिया जाता था। जिसके अंतर्गत शाम को बैरक बंद करने व रिहाई व अन्य ऑफिस से संबंधित कार्य देखा जाता था। माह जून में जेलर का प्रभार कविता कुमारी के पास था। यदि कविता कुमारी अवकाश पर जाती थी तो उनके स्थान पर बतौर प्रभारी जेलर मेरे द्वारा काम देखा जाता था। उनके रहने पर मेरे द्वारा मात्र उस बैरक का कार्य देखा जाता था, जिसका प्रभार रहता है, जिसके अंतर्गत बैरक खुलवाते समय गैंग बुक भरी जाती है। जिसमें बंदियों की संख्या भरी जाती है, जिसमें बतौर उपजेलर मेरे हस्ताक्षर रहते है और जेलर के भी हस्ताक्षर होते है। दिनांक 20.06.2023 व 21.06.2023 को बैरक नम्बर 19 में उपजेलर दरक्शा बानों की ड्यूटी थी। मेरी ड्यूटी 20.06.2023 व 21.06.2023 को सर्किल पर थी। जहां सभी बैरकों की गैंग बुक मेरे पास निरीक्षण हेतु प्रातः लगभग 06:30 बजे आ जाती थी। दिनांक 20.06.2023 को बैरक नम्बर 19 बंदियों की गैंग बुक दरक्शा बानो द्वारा मेरे समक्ष सर्किल में पेश की गई थी, सभी कुछ ठीक था। सभी बंदियों की इंट्री उसमें थी, जिसमें मैंने व कविता कुमारी ने हस्ताक्षर किए थे। दिनांक 20.06.2023 को शाम 8 बजे जब जेल बंद होती है तो प्रत्येक बैरक में बंदियों की लिस्ट पर जेलर के हस्ताक्षर होते हैं। दिनांक 21.06.2023 को सुबह मैं ड्यूटी पर सुबह 5 बजे जेल खुलवाने गयी थी। सभी बैरकों की गैंग बुक 6:30 से 7 बजे की बीच आ गयी थी। बैरक नम्बर 19 की गैंग बुक आई थी, उसमें सबकुछ ठीक था। दरक्शा बानों ने मौखिक रूप से बताया था कि सब कुछ ठीक है। मैंने और कविता कुमारी ने गैंग बुक पर हस्ताक्षर किए। उस दिन योग दिवस था। योगा करने के लिए लगभग साढे 7:30 बजे सभी बैरकों से कुछ बंदी योग हेतु इकट्ठा किए गए थे। बच्चा बैरक से आए थे या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। जिस दिन जिस सिपाही की ड्यूटी बैरक में होती है, वह अपने बन्दियों को योगा स्थल से बैरक ले जाते हैं। उस दिन बैरक नंबर 19 में धीरज चौबे की ड्यूटी 8-12 बजे तक थी। बैरक नंबर 19 के अन्य कैदियों का कथन है कि मनोज व विजय उर्फ करिया को अपनी बैरक से

लगभग 11 से 11:15 के बीच देखा था। राइटर सत्यम सिंह ने यह जानकारी दी कि बच्चा बैरक के कुछ बंदी गिनती में कम हो रहे हैं। साक्षी का उस संबंध में कथन है कि मेरी ड्यूटी मात्र सर्किल पर नहीं थी। मैं हर समय सर्किल पर बैठी नहीं रहती थी। अधीक्षक के लिखित आदेश पर अन्य काम देखती थी। मैं 11:30 बजे सर्किल पर ड्यूटी में आई और तुरंत चली गई, इसलिए मैं नहीं बता सकती कि उस बैरक में कोई बन्दी बाग की तरफ गया था या नहीं। लगभग 11:30 बजे के आसपास मुझे पता चला कि दो बंदी ने फांसी लगा ली है। तब मैं अधीक्षक के साथ बाग पर गई थी।

साक्षी E.P.W.16: कविता कुमारी का कथन है कि दिनांक 20.06.2023 को मैं प्रभारी जेलर थी। सुबह 5 बजकर 5 मिनट पर अंदर गई, सारी बैरक खुलवाई। सिपाही गैंग बुक और गिनती का रजिस्टर व पहरे का रजिस्टर लेकर हस्ताक्षर करवाए। जिसमे मैंने हस्ताक्षर किए और सर्किल अफसरों के हस्ताक्षर होते हैं। आज मैं अपने साथ गैंग बुक रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति लेकर आई हूँ, जिस पर दिनांक 01.06.2023 के अलावा किसी तिथि पर मेरे हस्ताक्षर नही है। मैं लगभग 8:00 बजे अपने आवास पर चली गयी, उसके बाद लगभग 10:00 बजे से 10:30 बजे के आस पास वापस जेल गई। किसी बंदी का बैरक बदलने इत्यादि सारे काम अधीक्षक उमेश सिंह द्वारा किया जाता था, यदि किसी बंदी को बच्चा बैरक में अपना दाखिला कराना हो तो ये सब काम सीधे अधीक्षक साहब करवातें थे। उनके अलावा कोई और दखल नहीं देता था। शुरू में बंदी मनोज नंबर 12 में था। बाद में उसका स्थानांतरण बच्चा बैरक 19 में कर दिया गया। रिहाई इत्यादि व बैरक बंद करवाने का काम करती हूँ। मैं स्वयं बैरक बंद करवाने, प्रत्येक कार्यदिवस कार्य अधिक होने के कारण नहीं पहुँच पाती हूँ। बच्चा बैरक खुलवाने, बंद करवाने तथा उक्त बैरक से संबंधित अन्य कार्य दरक्शा बानो उप जेलर द्वारा कराया जाता है। दिनांक 20.06.2023 को मैं व दरक्शा बानो बैरक नंबर 19 बंद करवाने गए थे। फिर 8 से 8:15 के बीच मैं अपने आवास पर वापस आ गई। बच्चा बैरक में हेड जेल वार्डर धीरज चौबे तथा दरक्शा बानो मौजूद थी। हम लोग योग दिवस की तैयारी में चले गए। सुबह गिनती के समय सारे बंदी मौजूद थे।

साक्षी E.P.W.17: साक्षी दरक्शा बानों द्वारा सशपथ साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि दिनांक 20.06.2023 को मेरी ड्यूटी मुलाकात महिला बैरक हवालात में हॉस्पिटल में वह बैरक नंबर 19,18 व 21 में थी। शेष काम सायंकाल बैरक बंद करने तथा उक्त बैरकों की देखरेख का कार्य मेरे द्वारा संपादित कराया जाता है। मैं प्रातः काल बैरक खुलवाने जाती थी। दिनांक 20.06.2023 को मैंने जेल खुलवाने के बाद बैरक के बन्दियों की गिनती की थी। गिनती में सभी बंदी मौजूद थे। उस दिन किसी बंदी ने मुझे कोई समस्या नहीं बताई। मृतक बंदीगण मनोज व करिया को एक दो बार बैरक में देखा था, बातचीत नहीं हुई। दिनांक 21.06.2023 को सुबह 5:41 पर मै, कविता मैडम व अवधेश बच्चा बैरक गिनती करने गए थे। उसके बाद मैं महिला बैरक चली

गई। सुबह गिनती के समय मेंटेन करने वाले रजिस्टर को गैंग बुक कहते हैं। गैंग बुक में दिनांक 20.06.2023 को कुल बंदी संख्या 39 है तथा दिनांक 21.06.2023 को कुल बन्दियों की संख्या 39 है, परन्तु उस पर प्रभारी बंदी रक्षक व प्रभारी उप कारापाल के हस्ताक्षर नहीं है। दिनांक 21.06.2023 को सुबह 5:30 बजे से 6:00 बजे बैरक खुलवाने के बाद बैरक में क्या गतिविधि हुई, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

साक्षी E.P.W.18: डॉक्टर सुनील द्वारा सशपथ बयान दिया गया है कि दिनांक 22.06.2023 को मृतक करिया पासी उर्फ विजय पासी सुत जगनारायण उर्फ जग्गु तथा मनोज रैदास उर्फ मज्जू पुत्र रंगीलाल का पोस्टमार्टम मेरे नेतृत्व में किया गया था। पोस्टमॉर्टम गठित टीम में मेरे अलावा डॉक्टर सूर्यकांत व डॉक्टर राम धीरेंद्र शामिल थे। मृतक बंदी का शव दिनांक 21.06.2023 को जिला कारागार से जिला अस्पताल सुल्तानपुर के मोर्चरी के रखे हुए रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। सुबह 8:50 पर मृतक के शव मोर्चरी से पोस्टमार्टम हाउस लाया गया। सर्वप्रथम करिया पासी के शव का पोस्टमॉर्टम किया गया था, जो 9:30 पर शुरू हुआ तथा 11:30 पर खत्म किया गया। मृतक करिया पासी के गले पर ग्लिसनिंग, लाईगेचर मार्क गर्दन में थायराइड के ऊपर और टुड्डी के नीचे मौजूद थी। ग्लिसनिंग इस बात का प्रमाण होता है कि मरने वालों की मौत का कारण फांसी ही है। आंतरिक परीक्षण के दौरान किसी भी गले की हड्डी और स्वास्थ्य तंत्रिका का टूटना नहीं पाया गया। मृतक के शरीर पर कहीं अन्य चोटों का निशान नहीं था। मृत्यु की अवधि हेतु हमने पाया कि मृत्यु पश्चात जकड़न (RIGOR MORTIS) शरीर के ऊपरी हिस्से में समाप्त हो गई थी और निचले हिस्से में कुछ भाग में मौजूद थीं। शरीर में विघटन शुरू हो गया था, जगह–जगह से चमड़ी छूट रही थी, आंखें उभरी हुई और जननांगों में सूजन आ गई थी। बाल आसानी से उखड़ रहे थे। मुँह आधा खुला था और होठों में सूजन मौजूद थी। नाक से झाग निकल रहा था। उपरोक्त सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए मृत्यु का संभावित समय करीब 2–3 दिन होना प्रतीत हो रहा था। उपरोक्त सभी लक्षणों से बालों का उखड़ना, शरीर का विघटन लगभग 2–3 दिन बाद शुरू होते हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि विजय उर्फ करिया पासी की मृत्यु दिनांक 21.06.2023 के पूर्व ही हो चुकी थी, क्योंकि दिनांक 21.06.2023 को जब शव रेफ्रिजरेटर में रखा गया, उसके बाद शव में कोई बदलाव आना संभव नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा शव अपनी उपस्थिति में रेफ्रिजरेटर में रखा गया, जो चालू हालत में था। मृतक मज्जू उर्फ मनोज रैदास पुत्र रंगीलाल का पोस्टमार्टम दिनांक 22.06.2023 को 11:40 दिन में शुरू हुआ था। उसके शरीर पर लगभग 13 चोटें थीं। बाईं तरफ गले पर 3×2 सेंटीमीटर खरोच और दूसरी चोट बाएं तरफ गले में 1/2, 1/2 सेंटीमीटर की खरोच थी। तीसरी चोट बाईं तरफ बाह के बगल में 1×0.5 सेंटीमीटर खरोच थी। चौथी चोट बाईं तरफ सीने में एक सेंटीमीटर में 3×1 सेंटीमीटर खरोच थी। बाईं तरह हाथ की कोहनी से ऊपरी हिस्से में खरोंच थी। चेहरे पर 1×0.5 सेंटीमीटर बाईं तरफ खरोच थी, एक और चोट दाहिनी तरफ 2×1

सेंटीमीटर सीने पर खरोंच थी। सातवीं चोट 0.5×0.5 सेंटीमीटर दाहिनी तरफ। आठवीं चोट 2×1 सेंटीमीटर सातवीं चोट के नीचे थी। नौवीं चोट 3×1 सेंटीमीटर दाहिने तरफ कमर की हड्डी पर थी। दसवीं चोट नाभी के नीचे 1×0.5 सेंटीमीटर थी। ये सभी उपरोक्त छोटे खरोंच के रूप में थी। ग्यारहवीं चोट छिद्रित घाव दो सेंटीमीटर की दूरी पर दो घाव जननांग में थे। उक्त चोट किसी नुकीली चीज से आयी थी। उक्त चोटों में फांसी के द्वारा उत्पन्न चोट नम्बर एक व दो के रूप में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में अंकित है। इस प्रकार मृतक के शरीर पर कुल 13 चोटें थीं, इसकी मृत्यु का समय 2 से 3 दिन का था। शरीर की अकड़न RIGOR MORTIS शरीर के ऊपरी हिस्से में समाप्त हो चुका था। निचले हिस्से के कुछ भागों में मौजूद था। आंखें उभरी हुई जीभ बाहर निकली हुई थी। पेट फूला हुआ था, मुँह आधा खुला हुआ था। उपरोक्त कारणों के दृष्टिगत मृत्यु का संभावित समय 2–3 दिन का बताया गया। मनोज के मामले में खाल उखड़ी हुई नहीं पाई गई और न ही जननांगों में सूजन थी और न ही बाल आसानी से उखड़ रहे थे, इसीलिए यह स्पष्ट है कि विजय उर्फ करिया पासी की मृत्यु मनोज रैदास से पूर्व हो चुकी थी। मेरी आख्या से यह भी स्पष्ट है कि किसी भी दशा में मृतकगण की मृत्यु दिनांक 21.06.2023 को नहीं हुई बल्कि उसके पूर्व ही हो चुकी थी। दोनों मृतक बन्दियों के अमाशय में करीब 50 एम0 एल0 तरल पदार्थ पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि मृत्यु पूर्व लगभग 12 घंटे पूर्व से मृतक बंदीगण द्वारा कुछ नहीं खाया गया था। दोनों की मृत्यु के समय में अंतर की पूर्ण संभावना है। मृतकगण ने स्वयं फांसी लगाई या किसी के द्वारा लगवाई गई, इस पर कोई राय नहीं दी जा सकती है।

साक्षी E.P.W.19: डॉक्टर धीरेन्द्र द्वारा सशपथ साक्ष्य दिया गया कि दिनांक 22.06.2023 को मृतक बंदी करिया पासी का पोस्टमॉर्टम सुबह 9:30 बजे शुरू हो चुका था। 11:30 बजे पोस्टमॉर्टम खत्म हुआ था। मेरे द्वारा विजय करिया के मृत्यु का कारण फांसी बताया है। मृतक के गर्दन पर लाइलेचर मार्क तिरछा मौजूद था, जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई दो सेंटीमीटर जो ठुड्डी के नीचे और थायराइड के ऊपर मौजूद था। मस्तिष्क कंजस्टेड था, दोनों फेफड़े कंजस्टेड थे, दाहिने नाक से खून बह रहा था और अमाशय में 50 एम0 एल0 तरल पदार्थ मौजूद था। लिवर कंजस्टेड था, पित्ताशय आधा भरा था। मेरी राय में मृतक की मृत्यु 3 दिन के अंदर की थी। मेरी राय में यह संभव ही नहीं है कि करिया पासी की मृत्यु 1 दिन पूर्व हुई हो। आंखें सूजी हुई थी, जननांगों में सूजन मौजूद थीं। इन्हीं आधारों पर मैंने मृत्यु का संभावित लगभग 3 दिन बताया है। मृतक बंदी मनोज उर्फ मनोज रैदास पुत्र रंगीलाल का पोस्टमार्टम, दिनांक 22.06.2023 को 11:40 पर शुरू हुआ था और 1:30 पी0 एम0 पर पूरा हुआ था। मनोज के शरीर पर चोटें मौजूद थीं, जो कि किसी ठोस वस्तु के घर्षण से आ सकती है। मृत्यु के पश्चात आइ अकड़न शरीर के ऊपरी अंगों से पास हो करके शरीर के निचले अंगों में मौजूद थे। मृतक की जिह्वा बाहर थी, मुँह खुला हुआ था, नाखून नीले पड़ गए थे। नीलापन यदि किसी को जहर दिया

गया हो तब पड़ सकता है। इनका फिकल मैटर ऐनस से बाहर निकला हुआ था, जिससे जहर दिए जाने की संभावना हो सकती है। आम तौर पर यदि जहर नहीं दिया गया हो तो नाखून नीले नही पड़ते। मनोज का उदर अथवा पेट फूला हुआ था, बाल आसानी से उखड़ नही रहे थे, जिससे साफ है की मनोज की मृत्यु का संभावित समय करिया की मृत्यु का संभावित समय से कम है अर्थात करिया की मृत्यु मनोज से पहले हो चुकी थी। करिया की बॉडी में लूज स्किन जो पानी में रहने के कारण उत्पन्न होती है, दोनों पैरों के तलवों में मौजूद थी। मेरी राय में मनोज की मृत्यु फांसी से हुई थी। यद्यपि मनोज के नाखून नीले थे तथा संभावना है कि उसको जहर दिया गया हो।

साक्षी E.P.W.20: साक्षी उमेश सिंह द्वारा सशपथ कथन किया गया कि घटना दिनांक 21.06.2023 की है। मैं अपने कार्यालय में बैठा था। मुख्य चीफ अवधेश द्वारा बताया गया कि दो बंदी पेड़ पर लटक गए हैं। घटनास्थल पर जाकर मेरे द्वारा दोनों बन्दियों को देखा गया और डॉक्टर से चिकित्सकीय परामर्श लेने को कहा गया। मेरे द्वारा तत्काल जिलाधिकारी सुल्तानपुर, पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर, डी० आई० जी० जेल सुलतानपुर को सूचित किया गया। एस० डी० एम० सदर, सी० ओ० सिटी, इंस्पेक्टर कोतवाली एवं उनके साथ कुछ स्टाफ गेट पर आए। कुछ देर बाद पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर जिलाधिकारी महोदय, फोरेंसिक जांच टीम, डॉग स्क्वायड भी आये। सभी उच्च अधिकारियों के सामने शव को पेड़ से उतारा गया। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई। एल० आई० यू० एवं इंटेलीजेंस द्वारा जेल अधिकारियों एवं कर्मियों की अनुपस्थिति में सभी बन्दियों से मिलजुलकर वार्ता की गयी। जिससे कि यदि जेल में का कोई भी अधिकारी, राइटर, लम्बरदार या कोई भी बंदी दोषी हो तो उसका दोष उजागर हो, लेकिन किसी का भी दोष उजागर नहीं हुआ और न ही किसी बंदी ने किसी भी समय जेल प्रशासन के विरुद्ध कोई बात कहीं नहीं। जेल में उक्त घटना को लेकर कोई अशांति का वातावरण उत्पन्न नहीं हुआ, जिससे स्पष्ट है कि उक्त बंदियों की मृत्यु में किसी की भी प्रत्यक्ष कोई लापरवाही नहीं है। दोनों ही बंदी चचेरे भाई थे, जो कि अपने गांव में एक व्यक्ति के जघन्य हत्या के अपराध में 30.05.2023 को जेल पर समय 16:41 पर दाखिल हुए। दिनांक 01.06.2023 को बंदी मनोज पुत्र रंगीलाल से मिलने उसके पिता रंगीलाल और माता सीतारानी आए। पुन 12.06.2023 को उसके पिता रंगीलाल और पड़ोसी राजू मिलने आए, उसके बाद कोई मिलने नहीं आया। दिनांक 01.06.2023 को करिया उर्फ विजय पासी पुत्र जगनारायण उर्फ जग्गू से मिलने अशोक और रविंद्र आए। उसके बाद कोई नहीं आया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि आत्महत्या करने वाले बन्दियों को यदि जेल प्रशासन के किसी अधिकारी, कर्मचारी अथवा राइटर, लम्बरदार अथवा किसी बंदी से कोई परेशानी होती तो अपने घर, परिवार न्यायालय को अवश्य बताया होता है। घटना के तीसरे दिन मजिस्ट्रेट जांच, जिसमें एस० डी० एम० सदर, डिप्टी एस० पी० सिटी, पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर, जिलाधिकारी सुलतानपुर द्वारा जेल में कई घंटे रहकर सभी से पूछताछ

किया। किसी का कोई दोष निकल नहीं पाया, अपितु बन्दियों से यह पता चला कि मृतक बंदी जेल के अन्य बन्दियों से कहते थे कि जिसके लिए हम लोगों ने हत्या किया है, वह साथ नहीं दे रहा है। गांव के लोग नाराज हैं। घर के लोग कह चूके है कि जिसके कहने पर तुम लोग हत्या किए हो वह साथ देगा। हम लोग साथ नहीं देंगे, इसलिए अवसाद से ग्रसित होकर संभवतः आत्महत्या किया। साक्षीगण पी0डब्ल्यू0 10 रंगीलाल ने अपने बयान में कथन किया है कि मेरे बेटे मनोज रैदास को गौशाला में काम करने के लिए मारा गया था। यह बात स्वयं मनोज ने उसे बताई थी, जब वह उससे मिलने गया था, जिससे उसके सर पर चोट भी आई थी। इस संबंध में साक्षी का यह कथन है कि मनोज की कही भी ड्यूटी नहीं लगाई गई थी। बच्चा बैरक वाले से कोई भी श्रम का काम नहीं लिया गया है। उनके पिता का का कथन सरासर गलत है। साक्षी पी0 डब्ल्यू0 4 द्वारा अपने बयान पृष्ठ संख्या 3 पर या कथन किया गया है कि मनोज व करिया बच्चा बैरक से पहले बैरक संख्या 12 में रहते थे। उनकी ड्यूटी कैन्टीन में लगायी गयी थी। उक्त कथन सरासर गलत है, किसी भी बच्चे की ड्यूटी श्रम में नहीं लगाई गई थी। बैरक बदलने के लिए जिला कारगार में कभी कोई रकम नहीं ली जाती है। मृतकगण के परिवार वालों ने झूठा बयान दिया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की अनुसार मृतक करिया उर्फ विजय पासी की मृत्यु 2–3 दिन पूर्व हो चुकी थी और मनोज की मृत्यु लगभग 2 दिन पूर्व हो चुकी थी, जबकि घटना दिनांक 21.06.2023 भी है। ऐसा संभवतः इसलिए है कि गर्मी का मौसम है। विघटन जल्दी होता है तथा दोनों ही बंदी गुटखा पान के शौकीन थे। संभवतः इस कारण से ही इनका शव ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु 2–3 दिन पूर्व की है, जिस चादर से मृतकगण ने फांसी लगाई थी। वह चादर स्वयं घर से लाए थे, वही मिली या किसी बंदी ने दी थी, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। दोनों मृतकगण की मृत्यु संभावित समय एक ही हैं। पोस्टमॉर्टम में विजय उर्फ करिया की मृत्यु का संभावित समय मनोज की मृत्यु से पहले दर्शाया गया है। वह संभवतः इसलिए होता है कि एक बंदी पान–मसाले का सेवन ज्यादा मात्रा में करता था। दोनों की शारीरिक संरचना पर निर्भर करता है कि किसका शरीर जल्दी विघटित हो जाए। मेरे अनुसार प्रकरण में धीरज चौबे व श्री चंद्रशेखर हेडवार्डर की लापरवाही के कारण घटना घटित हुई है।

समस्त साक्षीगण की साक्ष्य एवं उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का गहनता से परिशीलन किया गया। निष्कर्ष निम्नवत् हैं:–

प्रकरण में सर्वप्रथम दिनांक 04.07.2023 को अधीक्षक जिला कारागार सुलतानपुर में बैरक नम्बर–19 में विचाराधीन बंदी करिया पासी उर्फ विजय पासी पुत्र जगनारायण उर्फ जग्गू एवं मज्जू उर्फ मनोज रैदास पुत्र रंगीलाल के मृत्यु स्थल व आसपास लगे सी0 सी0 टी0 वी0 कैमरे की दिनांक 20.06.2023 एवं दिनांक 21.06.2023 की फुटेज तलब की गई, तो इस संदर्भ में अधीक्षक जिला कारागार द्वारा पत्रांक संख्या–1665/आयुध/2023 दिनांक 30.06.2023 को इस आशय की आख्या

प्रस्तुत की गई कि बैरक नम्बर–19 में 1 नग, बैरक नम्बर 18, 19 व 22 अस्पताल के उपर एक नग, हाता के पीछे 1 नग, हाता के बाहर गेट पर एक नग कैमरे लगे है, परन्तु जिला कारागार अधीक्षक के अनुसार दिनांक 09.05.2023 और 10.05.2023 को कैमरे के इंजीनियर द्वारा कैमरे के शार्ट सर्किट होना बताया गया है, जिसमें उक्त कैमरों के बनने की कार्यवाही भी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि उक्त घटना दिनांक 21.06.2023 की बतायी गई है तथा उपरोक्त तिथि को सी0 सी0 टी0 वी0 की फुटेज तलब किए जाने पर कोई रिकार्डिंग उपलब्ध न होने संबंधी आख्या दिनांक 18.11.2023 प्राप्त हुई है तथा कारण यह दर्शित किया गया है कि तत्समय आकाशीय बिजली गिरने के कारण कारागार में स्थापित समस्त सी0 सी0 टी0 वी0 कैमरे, मिनी वीडियो वाल एवं सी0 सी0 टी0 वी0 मानीटर तत्समय खराब रहने के कारण दिनांक 19.06.2023 से 21.06.2023 तक सी0 सी0 टी0 वी0 कैमरे की फुटेज न्यायालय को उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

साक्षी E.P.W.1 कैलाश द्वारा अपने साक्ष्य में कथन किया है कि मुल्जिम करिया पासी उर्फ विजय पासी तथा मनोज रैदास पुत्र रंगीलाल लगभग 15–20 दिन पहले से जिला कारागार में आये थे। घटना वाले दिन मनोज व करिया बैरक में मौजूद थे। मैंने उन्हें नहाते समय, भगवान को जल चढ़ाते वक्त नाश्ते के समय देखा था। वह आहते में मौजूद थे, उस दिन नाश्ते में पहले चाय मिली थी, फिर दलिया। बैरक के अंदर मनोज व विजय अपने कम्बल जो जेल में एक के ऊपर एक बिछा कर दोनों एक साथ लेटते थे, उनके पास एक गुलाबी रंग की चादर थी, जो बिछा कर लेटते थे। शायद घर से मंगाए होगे। मुझे जानकारी नहीं है। मैंने दिनांक 21.06.2023 को मनोज व विजय को सुबह 7–8 बजे के बाद नहीं देखा है। वहीं साक्षी E.P.W. 2 शानू का यह कथन है कि दिनांक 20.06.2023 को बैरक बंद होते समय मनोज व करिया बैरक में मौजूद थे। दिनांक 21.06.2023 को 05:00–06:00 बजे के बीच, जब बैरक खुला तो मनोज व करिया मौजूद थे। मनोज व करिया ने नाश्ता लिया था। नाश्ता के बाद नहाये और उसके बाद मंदिर में जल चढ़ाए। हम लोग नहाने के बाद कपड़े धो लेते है, पर मनोज व करिया के कपड़े नल पर ही रखे हुए थे। उस समय ड्यूटी पर कौन तैनात था, मैं नहीं जानता। उक्त साक्षी के बयान में यह तथ्य आया है कि दिनांक 21.06.2023 को नहाने के बाद मनोज व करिया ने कपड़े नहीं धोए तथा उनके कपड़े नल पर ही रखे थे, परन्तु ड्यूटी पर तैनात किसी कर्मचारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। साक्षी का यह भी कथन है कि दोनों चटाई पर सोते थे, चादर नहीं बिछाते थे। उनके पास कोई चादर नहीं थी। मृतक बंदीगण के संदर्भ में जिला कारागार से प्राप्त कराई गई विडियों क्लिप में मृतकगण के शव के गर्दन में गुलाबी रंग का कपड़ा/चादर जैसा स्पष्ट दिख रहा है, परन्तु उक्त चादर मृतकगण को किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई, यह स्पष्ट नहीं है। जहां एक ओर E.P.W. 2 ने मृतकगण के पास ऐसी किसी चादर के होने के बावत स्पष्ट इंकार

किया है। वही E.P.W. 1 के अनुसार उनके पास एक गुलाबी चादर थी। इसी प्रकार साक्षी E.P.W. 5 रिन्कू द्वारा भी अपने साक्ष्य में स्पष्ट कथन किया है कि मनोज व करिया चटाई व कम्बल के उपर सोते थे। उनके पास चादर नही थी। साक्षी E.P.W. 6 धीरज कुमार चौबे/हेड जेल वार्डर के अनुसार बंदी को बिछाने के लिए कम्बल दिया जाता है, चादर बिछाने के लिए अपने घर से मंगाते थे। साक्षी E.P.W. 8 नवीन पाल/जेल वार्डर के अनुसार वह दिनांक 13.09.2021 से जिला कारागार में जेल वार्डर के पद पर कार्यरत है। साक्षी के अनुसार दिनांक 21.06.2023 को मेरी ड्यूटी थर्ड गेट पर आदर्श सिंह व शैलेन्द्र यादव के साथ सुबह से शाम तक यानी जेल खुलने से जेल बंद होने तक थी। मेरी ड्यूटी के अंतर्गत अस्पताल के आने-जाने वाले बंदियों की देख-रेख तथा आने-जाने वाले बंदियों का रिकॉर्ड दर्ज कराया था। हॉस्पिटल के अंतर्गत बच्चा बैरक भी आता है। उक्त बैरक से यदि कोई कैदी बाल कटवाने या फोन करने जाता है, तो उसकी तलाशी लेते है। इनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। उक्त साक्षी के बयान के अनुसार बच्चा बैरक से कोई भी बंदी उनकी निगरानी में बाहर जाता है, यद्यपि कोई रिकॉर्ड नही रखा जाता पर तलाशी ली जाती है। ऐसी परिस्थिति में यदि तथाकथित रूप से मनोज व विजय (मृतक बन्दीगण) वास्तव में 21.06.2023 को आत्महत्या के इरादे से निकले तथा उनके पास साक्षी E.P.W. 2 व E.P.W. 5 के अनुसार कोई चादर नहीं थी, तो चादर किसके द्वारा प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त साक्षीगण के इस बयान कि वे आत्महत्या के इरादे से घटना स्थल पर स्वयं गए, परन्तु न ही जेल कर्मियों, न सह बंदीगण को इसकी जानकारी रही, अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त साक्षी E.P.W. 10 साक्षी रंगीलाल जो कि मृतक मनोज का पिता है ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि मैं सबसे पहले अपनी पत्नी के साथ जेल गया था तब बुशर्ट, पैन्ट ले गया था। साथ में बिछाने की चादर ले गया था। चादर किस रंग की थी मुझे याद नहीं है। वहीं साक्षीगण E.P.W. 11 साक्षी सीतारानी पत्नी रंगीलाल का कथन है कि मैं अपने बेटे के लिए आम, खीरा ले गई थी। मेरा लड़का पहले भी जेल में बंद हुआ था। तब मैं बिछाने की चादर ले गयी थी। इस बार मैं चादर नहीं ले गई थी। मेरे पति ने पिछली बार चादर ले गये थे, उसी के बारे में बताया हो गया। इस प्रकार E.P.W. 12 साक्षी अशोक कुमार करिया पासी उर्फ विजय पासी के बड़े भाई का कथन है कि मैं दिनांक 02.06.2023 को जिला कारागार सुलतानपुर अपने भाई करिया पासी से मिलने गया था। मेरे चाचा का लड़का रवीन्द्र कुमार भी गया था। मै अपने साथ देने के लिए एक दर्जन केला, भुना हुआ चना, ब्रश मंजन व एक प्लास्टिक की चटाई ले गया था। मैं अपने साथ कोई चादर नहीं ले गया था। इसी प्रकार साक्षी E.P.W. 13 द्वारा अपने साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि हम बिछाने के लिए प्लास्टिक की चटाई ले गये थे। अतः उपरोक्त साक्षीगण के बयान में यह स्पष्ट है कि मृतक बंदीगण के

पास अपनी कोई चादर नहीं थी तथा यदि उनके द्वारा स्वयं आत्महत्या की गई, तो फांसी के लिए किसके द्वारा उन्हें चादर उपलब्ध कराई गई, यह स्पष्ट नहीं है तथा चादर ले जाते समय बैरक के गेट में तैनात जेल वार्डर द्वारा क्यों नहीं देखा गया तथा न ही उनसे चादर ले जाने का प्रयोजन पूछा गया। अतः साक्षीगण के बयान व परिस्थितियों में घोर-विरोधाभास है।

इसी क्रम में साक्षी E.P.W. 3 का कथन है कि जिस बाग में मृतकगण द्वारा फांसी लगाना कहा गया है, वहां कभी भी बच्चा बैरक अर्थात बैरक नम्बर 19, जिसमें मृतकगण थे, वहां से किसी बंदी की ड्यूटी नहीं लगती थी। साक्षी के अनुसार मैं कभी-कभार कैन्टीन गया हूं तो रास्ते में बाग दिखाई देता था, जब भी कैन्टीन जाता था, कोई लम्बरदार मेरे साथ रहता था। बाग की तरफ सामन्यतः बच्चा बैरक वालों का आना-जाना नहीं रहता है, क्योंकि वह एक दम जेल के पीछे है।

उक्त साक्षी के बयान से यह कथन कि सामान्यतः बैरक नम्बर 19 का कोई बंदी बाग की ओर नहीं जाता था, यदि बाग के समीप कैन्टीन में जाना हो तो लम्बरदार साथ जाते थे। घटना के दिन जेल कर्मियों द्वारा मृतकगण जो बच्चा बैरक में निरूद्ध थे, को अकेले बाग की ओर जाने से क्यों नहीं रोका गया। उक्त तथ्य भी जेल प्रशासन के इस कथन कि मृतकगण ने आत्म-हत्या की है पर संदेह उत्पन्न करता है। साक्षी E.P.W. 6 धीरज कुमार जेल वार्डर के अनुसार दिनांक 01.06.2023 से 20.06.2023 तक बैरक संख्या 6, 7, 8, 15, 16, 17 पर समय 16 से 20 बजे तक मेरी ड्यूटी थी। दिनांक 20.06.2023 को शाम को मुख्य चीफ ने मेरी ड्यूटी बैरक नम्बर 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में ब्रजमोहन सिंह के कथन पर लगायी थी। हमारी ड्यूटी निर्धारित बैरकों पर सुबह 4 से 8 बजे तक रहती है और शाम को 4 से 8 बजे तक रहती है। दिनांक 21.06.2023 को बैरक नम्बर 19 को सभी बंदियों का नाश्ता हो चुका था, वे बैरक के हाते में ही रहते है। बैरक लगभग 12 बजे बंद होती है। इसी बीच बंदी बैरक के हाते में ही रहते है। लगभग 12 बजे पुनः चन्द्रशेखर हेड जेल वार्डर की उपस्थिति में सभी बंदियों की गिनती हुई। सभी बंदी मौजूद थे, फिर राईटर ने मुझे बताया था कि दो बंदी कैन्टीन में गये है। मैंने जो ऊपर बताया है कि गणना के समय सभी बंदी मौजूद थे वह गलत है। मैंने चंद्रशेखर को यह बात बताकर कि बंदी कैन्टीन गये है। बैरक बंद कर चार्ज दे दिया। मैंने कार्यभार देते समय यह जानने का प्रयास नहीं किया कि वास्तव में बंदी कैन्टीन में थे अथवा नहीं। साक्षी के उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 21.06.2023 को न तो बंदीगण की गणना हुई तथा जेल अधिकारियों को भी इसकी बखूबी जानकारी रही कि बंदीगण मनोज व करिया बैरक में मौजूद नहीं थे। इसी प्रकार साक्षी E.P.W. 7 चन्द्रशेखर का कथन है कि मैंने दिनांक 21.06.2023 को सुबह 8:00 बजे ड्यूटी पर आकर धीरज चौबे से चार्ज लिया। मैंने बैरक नम्बर 19 का भी चार्ज लिया। मैंने बैरक में जाकर बंदियों की गिनती नहीं की। इसके अतिरिक्त साक्षी के अनुसार दिनांक 21.06.2023 को योग दिवस पर बैरक 2, 3, 4, 15, 16, 17 में बंदी योग के लिए मुलाकात स्थल

पर इकट्ठा हुए थे। बैरक नम्बर 19 से योग हेतु किसी को भी नहीं ले जाया गया था। क्यों नही ले जाया गया इसका कोई कारण मुझे नहीं मालूम। उक्त साक्षी के बयान से ऐसा परिलक्षित होता है कि जेल अधिकारियों, दोनों बंदियों मनोज व करिया की बैरक नम्बर 19 में दिनांक 21.06.2023 को न होने की बखूबी जानकारी रही तभी उक्त बैरक से बंदियों को योग दिवस हेतु नहीं ले जाया गया।

साक्षी का कथन है कि धीरज चौबे ने मुझे एक पर्ची मिनती की दी थी। उस पर्ची में कोई भी बंदी मिनती में कम नहीं था और न धीरज चौबे ने मुझे बताया कि कोई बंदी कम है। फिर कहा जब मैंने बैरक खुलवाकर बंदियों की गणना की तो दो बंदी कम पाया, जबकि जेल अधीक्षक को दिए गए अपने पूर्व बयान में साक्षी द्वारा ऐसा कोई बयान न दिया जाना स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। पूछने पर कहा पूर्व अंकित बयान में जानबूझकर मेरे बताने पर भी यह बात अंकित नहीं की गई है। स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रत्येक साक्षीगण का बयान भिन्न है तथा इसी ओर इंगित करता है कि सभी को मनोज व करिया के बैरक में अनुपस्थिति की बखूबी जानकारी थी तथा साक्षी का यह भी कथन है कि सुबह 8:30 बजे धीरज चौबे से चार्ज लेते समय कोई गणना नहीं की गई। साक्षी का यह भी कथन है कि कैन्टीन की तरफ किसी सिपाही की तैनाती सुरक्षा हेतु नहीं लगाई गई थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति कैन्टीन, बाग कही भी आ सकता है। थर्ड गेट पर जिन सिपाहियों की ड्यूटी लगी है, उनका कार्य यह देखना है कि कोई बंदी इधर–उधर न जाय, जिनकी ड्यूटी लगी थी, उनमें नवीन पाल, आदर्श सिंह, दिनेश कुमार व मुख्य चीफ अवधेश कुमार ड्यूटी पर तैनात थे, परन्तु उन्होंने यह नहीं देखा कि कौन बंदी कहां और कब गया। साक्षी E.P.W.8 नवीन पाल के अनुसार बच्चा बैरक से आने–जाने वाले बंदी की देखरेख का कार्य उसके पास था। साक्षी के अनुसार चूंकि मेरे द्वारा थर्ड गेट से आते–जाते किसी कैदी का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, इसलिए शाम को बैरक बंद होते समय समस्त कैदी वापस बैरक चले गये है अथवा नहीं इसकी कोई जानकारी मेरे पास नहीं रहती है।

प्रकरण के साक्षी E.P.W. 9 आदर्श सिंह के अनुसार मैं दिनांक 21.06.2023 को सुबह 5:00 बजे आया। मैं थर्ड गेट पर 1 घंटा बीस मिनट तक तैनात रहा। लगभग 2 बजे तक बंदियों का आवागमन लगा रहता है, परन्तु हम लोगों द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जाता कि कौन सा बंदी किस प्रयोजन के लिए कहां जा रहा है।

साक्षीगण E.P.W. 1 कैलाश, E.P.W. 2 शानू, E.P.W. 3 मो0 आरिफ, E.P.W. 5 साक्षी रिन्कु सभी ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि दिनांक 21.06.2023 को सुबह लगभग 8–9 बजे तक जब चाय–नाश्ता हुआ, तब तक मृतकगण मनोज व करिया बैरक नम्बर–19 में ही मौजूद थे, परन्तु साक्षी E.P.W. 18 डॉक्टर सुनील द्वारा अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट कथन किया गया है कि मेरी राय में किसी भी दशा में मृतकगण की मृत्यु 21.06.2023 को नहीं, बल्कि उसमें पूर्व ही हो चुकी थी। दोनों मृतक बंदियों के अमाशय में करीब 50 एम0 एल0 तरल पदार्थ पाया गया, जिससे

स्पष्ट है कि मृत्यु पूर्व लगभग 12 घंटे पूर्व से ही मृतक बंदीगण द्वारा कुछ नहीं खाया गया था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तथ्य उल्लेखनीय है कि साक्षी E.P.W.18 द्वारा करिया पासी की मृत्यु से संभावित समय के बावत यह कथन किया है कि मृत्यु की अवधि हेतु हमने पाया कि मृत्यु पश्चात जकड़न (Rigor moris) शरीर के ऊपरी हिस्से के कुछ भाग में मौजूद हो गयी थी और निचले हिस्से के कुछ भाग में मौजूद थी। शरीर मे विघटन शुरू हो गया था, जगह-जगह से चमड़ी छूट रही थी। आंखे उभरी हुई और जननांगों मे सूजन आ गई थी। बाल आसानी से उखड़ रहे थे। मुंह आधा खुला था और होठों में सूजन मौजूद थी। उपरोक्त सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए मृत्यु का संभावित समय करीब 2-3 दिन होना प्रतीत हो रहा था, जिससे स्पष्ट है कि विजय उर्फ करिया पासी की मृत्यु दिनांक 21.06.2023 के पूर्व हो चुकी थी, चूंकि 21.06.2023 को जब शव रेफ्रिजरेटर में रखा गया उसके बाद शव में कोई बदलाव आना संभव नहीं है। इसी प्रकार मृतक मंज्जू उर्फ मनोज रैदास पुत्र रंगीलाल के पोस्टमार्टम में पाया गया कि उसके शरीर में लगभग 13 चोटें थी। इसकी मृत्यु का समय 2-3 दिन का था। शरीर की अकड़न (Rigor moris) शरीर के उपर हिस्से से समाप्त हो चुकी थी। पेट फूला हुआ था। मुंह आधा खुला हुआ था। उपरोक्त कारणों के दृष्टिगत मृत्यु का संभावित समय 2-3 दिन बताया गया। मनोज के मामले में खाल उखड़ी हुई नहीं पाई गई और न ही जननांगों में सूजन थी और न ही बाल आसानी से उखड़ रहे थे, इसलिए यह स्पष्ट है कि विजय उर्फ करिया पासी की मृत्यु मनोज रैदास से पूर्व हो चुकी थी। साक्षी के अनुसार मेरी आख्या से यह भी स्पष्ट है कि किसी भी दशा में मृतकगण बंदियों की मृत्यु दिनांक 21.06.2023 को नहीं, बल्कि उसके पूर्व हो चुकी थी। उक्त साक्ष्य का समर्थन पोस्टमार्टम कर्ता अन्य डॉक्टर साक्षी डॉक्टर रामधीरेन्द्र द्वारा भी की गई तथा दोनों पोस्टमार्टम कर्ता ने यह स्पष्ट किया कि दोनों मृतकगण की मृत्यु का समय अलग है तथा मृत्यु दिनांक 21.062023 के पूर्व ही हो चुकी थी। अतः सह-बंदीगण का यह साक्ष्य कि दिनांक 21.06.2023 को दोनों मृतकगण ने साथ में दलिया खाया और चाय पी थी, सरासर गलत है, चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु के लगभग 12 घंटे पहले से बंदीगण ने कुछ नहीं खाया था। अतः उक्त साक्षीगण का बयान विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है तथा उनके द्वारा जानबूझकर घटना को छिपाने के उद्देश्य से झूंठा बयान दिया गया है। जेल प्रशासन द्वारा एक बंदी के शरीर में कोई चोट न होने और दूसरे बंदी के शरीर में लगभग 13 चोटें होने का भी कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा जिला कारागार से प्राप्त जांच आख्या में इस आशय का उल्लेख है कि जिन 13 एंटी मार्टम इन्जरी का उल्लेख पोस्टमार्टम में किया गया है। यह सभी खरोच विशाल पाकड़ के पेड़ पर चढ़ने के कारण सम्भवतः आयी है, परन्तु जब एक ही पाकड़ के पेड़ से दोनों बंदी द्वारा आत्महत्या कारित किया जाना दर्शित है, तो ऐसा कैसे संभव है कि एक के शरीर पर कोई चोट न आए और दूसरे को इतनी सारी खरोंचे आ जाए। इसके अतिरिक्त मृतक मनोज के जननांग में Punctured wound भी पाया गया, जिसका कोई

स्पष्टीकरण नहीं है। जहां तक जिला कारागार की जांच आख्या में इस आशय का कथन किया गया है कि मज्जू उर्फ मनोज रैदास व विजय पासी के ऊपर कारागार प्रशासन के किसी अधिकारी/कर्मचारी बंदियों के द्वारा न तो उत्पीड़न किया है न मारा-पीट किय गया न ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और न ही उन्हें आत्म हत्या की घटना कारित करने हेतु उत्प्रेरित किया गया, प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि दोनों बंदियों द्वारा बाहर हत्या का जो अपराध किया गया था, उस अपराध बोध से ग्रस्त या अवसाद में रहने के परिणामस्वरूप आत्महत्या कारित की गई। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि मृतकगण के विरूद्ध हत्या के अपराध का आरोप था तथा दोनों बंदीगण दिनांक 30.05.2023 को हत्या के आरोप में कारागार में निरूद्ध हुए थे तथा मृत्यु सूचना 21.06.2023 को प्राप्त हुई। कारागार में निरूद्ध मृतकगण की निरूद्ध की अवधि को देखते हुए, उनका इतने कम समय में अवसाद ग्रसित हो जाना सामान्यतः अस्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त साक्षी E.P.W. 5 रिन्कु द्वारा अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट कथन किया है कि मैं दिनांक 31.05.2023 से जिला कारागार में निरूद्ध हूं। मैं 376 के मुकदमें में बंद हूं। मै, मनोज व करिया एक ही बैरक में रहते थे। मेरी मुलाकात मनोज व करिया से बैरक में हुई थी। मनोज व करिया आपस में बात करते थे। मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। सामान्यतः मनोज व करिया खाना-पीना खाते थे तथा हंसते बोलते भी थे। कभी-कभी टेंशन में रहते थे। अतः सह बंदीगण ने मृतकगण के व्यवहार में कोई असामान्य बात होना व्यक्त नहीं की है।

इसके अतिरिक्त साक्षी E.P.W.10 रंगीलाल जो मनोज कुमार का पिता है ने स्पष्ट कथन किया है कि मैं अपने बेटे के लिए 1/2 किलो लाई और 5000 रूपये बैरक कटाई के लिए मनोज को दिया था। जेल वालों ने बताया था कि बैरक बदली के लिए पैसा देना पड़ता है, जिससे ऐसी बैरक मिल जाती है, जहां कम काम करना पड़े। मैं जब अपने बेटे से मिलने गया था। तब मैंने कहा था कि पैसे का इंतजाम करके छुडवाउगा। मेरे बेटे ने आत्म-हत्या नहीं की है। मैंने उससे कहा कि मैं तुमको छुड़ा लुंगा। मनोज ने बताया था कि एक दिन पहले गौशाला में किसी पुलिसवाले ने उसे मारा था।

साक्षी E.P.W.11 का कथन है कि मेरे लड़के का नाम मनोज है। मैं उसे उसके मरने के आठ दिन पहले जेल में मिलने गयी थी। मैंने हाल-चाल पूछा था। उसने कहा था कि मम्मी फिर आना। मैंने अपने बेटे से कहा था, मुकदमा ऐसा है, जल्दी छुड़ा नहीं पाएगें पर जल्दी छुडाने का प्रयास करेगें। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा लड़का आत्म-हत्या नहीं कर सकता। उसे मारा गया है।

इसी प्रकार साक्षी E.P.W.12 अशोक कुमार के अनुसार करिया पासी उर्फ विजय पासी मेरा सगा छोटा भाई है। मैं अपने भाई करिया पासी से मिलने गया था। तो वह रो रहा था।मेरे भाई ने मुझको बताया कि मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे जबरदस्ती फंसाया गया था। मेरे भाई को जेल गए हुए 20 दिन हुआ था। मेरे द्वारा उसे छुड़ाने हेतु जमानत की कार्यवाही पर सोच-विचार हो रहा था। मैंने अपने भाई

से ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मैं तुम्हे छुड़ा नही पाऊगा। मेरे भाई कमाई के सिलसिले में अहमदाबाद में रहता था, दो महीने पहले, ही लौटा था। वह जूस निकालने वाली मशीन चलाता था। उसका जीवन संघर्ष भरा रहा है। वह आत्म-हत्या करने की नही सोच सकता था।

साक्षी E.P.W.13 रवीन्द जो विजय पासी का पड़ोसी है, जो विजय उर्फ करिया पासी से मिलने जिला कारागार गया था का कथन है कि मैंने विजय को 4000/-रूपये दिए थे। हमने सोचा था कि उसकी बैरक कटा दे तो दूसरी बैरक मिल जाएगी। जिसमें काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने आसपास के लोगों से सुना था कि बैरक कटाने के पैसे लगते है, जब मैं मिलने गया तो उसे जेल में गए 2-3 दिन हुए थे। शुरू में थोड़ा दुःखी हुआ, फिर हंस कर बात करने लगा था। मुझे विजय उर्फ करिया परेशान नहीं लग रहा था। हमने सोचा था कि दोबारा पैसा कमा लेंगे तो मिलने जाएंगे। मेरे अनुसार विजय ने आत्म-हत्या नहीं की है।

अतः उक्त साक्षीगण के बयान से यह परिलक्षित नहीं होता है कि मृतकगण अवसाद ग्रस्त थे तथा यह भी स्पष्ट है कि जेल प्रशासन द्वारा बैरक बदलने के लिए बंदियों से पैसा भी लिया जाता था, जबकि साक्षी E.P.W.20 तत्कालीन जेल अधीक्षक के अनुसार मृतक बंदीगण का बैरक नहीं बदला गया, वह शुरू से बैरक नम्बर 19 अर्थात बच्चा बैरक में थे, परन्तु साक्षी E.P.W.4 सत्यम सिंह तथा साक्षी E.P.W.16 कविता कुमारी, प्रभारी जेलर द्वारा अपने साक्ष्य में कथन किया गया है कि मनोज व करिया का बच्चा बैरक का कार्ड बनने से पहले बैरक नम्बर 12 में रहते थे तथा साक्षी E.P.W.4 सत्यम सिंह के अनुसार मनोज व करिया ने बताया था कि हमारी ड्यूटी कैन्टीन में लगायी गयी थी। अतः स्पष्ट है कि बंदीगणों की बैरक बदली गयी थी, यह तथ्य भी छुपाया गया है।

सम्पूर्ण तथ्यों की जांच से यह स्पष्ट है कि मृतक बंदीगण मनोज व करिया की मृत्यु का समय व कारण पूर्णतयः संदिग्ध है तथा उनके द्वारा अवसाद के कारण आत्म हत्या की गई हो ऐसा परिलक्षित नहीं होता। इसके अतिरिक्त मृत्यु 21.06.2023 के पूर्व हो चुकी थी तो जेल प्रशासन द्वारा विलंब से सूचना क्यों दी गई, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इसके अतिरिक्त दोनों मृतकगण की मृत्यु का समय भी भिन्न है। इसके अतिरिक्त फांसी हेतु लटकाने का कपड़ा किसके द्वारा उपलब्ध कराया गया, यह भी स्पष्ट नहीं है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिसका कोई स्पष्ट कारण जेल प्रशासन के पास नहीं है, वह यह है कि साक्षी E.P.W. 19 डॉक्टर राम धीरेन्द के अनुसार मनोज की शरीर पर चोटें मौजूद थी। नाखून नीले पड़ गये थे, नीलापन जब किसी को जहर दिया गया हो, तब पड़ जाता है। इसका फीकल मैटर ऐनस से बाहर निकला हुआ था, जिससे जहर दिये जाने की सम्भवाना हो सकती है। आम तौर पर यदि जहर न दिया गया हो तो नाखून नीले नहीं पड़ते है।

प्रकरण मे मृतकगण की विसरा रिपोर्ट बार-बार तलब किये जाने पर भी प्राप्त नही करायी गयी है।

प्रकरण मे यह भी स्पष्ट है कि मृतकगण की मृत्यु का कारण Anti mortem hanging ही दर्शित है, परन्तु मृतक विजय के शरीर पर चोटे व नाखून नीला होना इस ओर दर्शित करता है कि मृतकगण को संभवतः किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव मे इच्छा के विरुद्ध फांसी लगाई गई है, जिसमे जेल प्रशासन की भूमिका अर्थात संलिप्तता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अतः मामला स्पष्ट रूप से आत्महत्या का नही, अपितु Forceful hanging का प्रतीत होता है अर्थात हत्या का है, जिसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार जेल प्रशासन ही है।

जाँच आख्या माननीय महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

भवदीय,

दिनांकः-02.12.2023

(सपना त्रिपाठी-II)
जाँच अधिकारी/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या-16, सुलतानपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1- सहायक रजिस्ट्रार (लॉ),
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (लॉ डिवीजन), मानव अधिकार भवन "ब्लाक-सी" जी0 पी0 ओ0 काम्पलेक्स, आई0 एन0 ए0, नई दिल्ली।

2- जिलाधिकारी, सुलतानपुर।

2.12.23

दिनांकः-02.12.2023

(सपना त्रिपाठी-II)
जाँच अधिकारी/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या-16, सुलतानपुर।